

प्रपत्र—VI

[नियम 15 का उप-नियम (6) तथा नियम 79 का उप-नियम (2)]

किशोर/बालक द्वारा मुचलका

अधिनियम की धारा..... की उपधारा..... के खण्ड
के अन्तर्गत आदेशानुसार किशोर/बालक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाने वाल मुचलका.....

चूँकि किशोर न्याय (बालकों की देख रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा.....
के अन्तर्गत किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति..... द्वारा यह आदेश दिया गया
है कि मुझे..... निवासी.....

.....
(मकान नं० सड़क, गांव/शहर, तहसील, जिला राज्य का पूरा ब्यौरा दें) को आगे दर्शाई गई शर्तों का
अनुपालन करने के लिए उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित नियमों के नियम 9 के उप-नियम 6
और नियम 66 के उप नियम 2 के अन्तर्गत मेरे द्वारा मुचलका भरे जाने पर मेरे मूल निवास स्थान पर
वापस भेज दिया जाए। इसलिए अब मैं सम्यनिष्ठा से यह वचन देता हूँ कि
अवधि के दौरान इन शर्तों का पालन करूंगा।

मैं एतद्वारा स्वयं को निम्नलिखित से आबद्ध करता हूँ :

1.अवधि के दौरान मैं समान्यतः उस गांव/शहर/जिले को छोड़कर
कहीं नहीं जाऊंगा, जहां मुझे भेजा जा रहा है और उक्त बोर्ड/समिति की पूर्वानुमति के
बिना न तो..... लौटूंगा और न ही उक्त जिले से बाहर कहीं जाऊंगा ;
2. उक्त अवधि के दौरान मैं उस गांव/शहर अथवा जिले में स्कूल में/व्यवसायिक प्रशिक्षण
पर जाऊंगा जहां मुझे भेजा जा रहा है ;
3. उक्त जिले में अन्य कहीं स्थित स्कूल में/व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जाने की स्थिति में, मैं
उक्त बोर्ड/समिति को अपने सामान्य निवास स्थल की सूचना दूंगा।

मैं एतद्वारा यह अभिस्वीकार करता हूँ कि मुझे उपर्युक्त शर्तों की जानकारी है, जिन्हें, मुझेको
पढ़कर सुनाया/समझाया गया है और मैं इन्हें स्वीकार करता हूँ।

(किशोर या बालक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान)

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तें..... (किशोर
या किशोरी/बालक) को पढ़कर सुनाई या समझा दी गई है तथा उसने इन्हें ऐसी शर्तों के रूप में
स्वीकार किया है जिन पर उसे सुरक्षित अभिरक्षा में निरूद्ध किए/रखे जाने की अवधि रद्द की जा
सकती है।

तदनुसार यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त किशोर/किशोरी या बालक को
.....(दिनांक) को छोड़/रिहा कर दिया गया है।

प्रमाणकर्ता प्राधिकारी अर्थात्
संस्था के प्रभारी अधिकारी
के हस्ताक्षर एवं पदनाम